रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1139] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 2005/कार्तिक 3, 1927
No. 1139] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2005/KARTIKA 3, 1927

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 25 अक्तूबर, 2005

का.आ. 1534(अ).—केंद्रीय सरकार, ने डाईक्लोरो डाईफिनायल ट्राईक्लोरोथेन (डीडीटी) के उपयोग का पुनर्विलोकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था;

और, केन्द्रीय सरकार, का उक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् और कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) (*जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है*) की धारा 5 के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करके यह समाधान हो गया था कि कृषि में डाईक्लोरो डाईफिनायल ट्राइक्लोरोथेन के उपयोग में मनुष्यों और पशुओं के लिए खतरा होने की संभावना है;

और, केन्द्रीय सरकार, ने उक्त अधिनियम की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, की अधिसूचना संख्यांक 378(अ) तारीख 26 मई, 1989 द्वारा कृषि में डाईक्लोरो डाईफिनायल ट्राइक्लोरोथेन के उपयोग को बंद कर दिया और किसी महामारी के मुख्य प्रकोप में के सिवाय उसका उपयोग लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 10,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक निर्बंधित कर दिया।

और, केन्द्रीय सरकार, उक्त आदेश संख्यांक का.आ. 378(अ), तारीख 26 मई, 1989 को लोक स्वास्थ्य के लिए रोगवाही कीट नियंत्रण में उपयोग के लिए निर्यात हेतु डाईक्लोरो डाइफिनायल ट्राइक्लोरोथेन का विनिर्माण अनुज्ञात करने के प्रयोजनों के लिए पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव करती है।

अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश जारी करने का प्रस्ताव करती है, अर्थात् :—

प्रारूप आदेश

1. भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 378(अ) तारीख 26 मई, 1989 के पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) *किसी महामारी के मुख्य प्रकोप की दशा में के सिवाय* डाईक्लोरो डाईफिनायल ट्राइक्लोरोथेन का उपयोग घरेलू लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 10,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक निर्बंधित कर दिया गया है।" देश में डाईक्लोरो डाईफिनायल ट्राइक्लोरोथेन का एक मात्र विनिर्माता मैसर्स हिंदुस्तान इनसेक्टीसाइड लिमिटेड लोक स्वास्थ्य के प्रयोजन के लिए रोगवाही कीट नियंत्रण में उपयोग हेतु अन्य देशों को निर्यात करने के लिए डाईक्लोरो डाईफिनायल ट्राइक्लोरोथेन का विनिर्माण कर सकेंगे। पक्षकारों और राज्य गैरपक्षकारों को डाईक्लोरो डाईफिनायल ट्राइक्लोरोथेन का निर्यात सर्वथा स्टाकहोम कन्वेंशन के अनुच्छेद 3(2)(ख) के अनुसार होगा।

(2क) राज्य सरकारें क्रमश: अपनी अधिकारिता में ऐसे सभी उपाय करने के लिए सशक्त होंगी जो वे कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके अधीन विरचित नियमों के अनुसार इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए ठीक समझें"।

2. ऐसा प्रारूप आदेश जो केन्द्रीय सरकार करने का प्रस्ताव करती है, इसके द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित किया जाता है और इसके

द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप आदेश पर उस तारीख से, जिसको इस आदेश से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं; पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

3. उक्त प्रारूप आदेश के संबंध में यदि कोई व्यक्ति कोई सुझाव देना या आक्षेप करना चाहता है तो वह उसे यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण), कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली को भेज सकता है।

[फा. सं. 19-6/1999-पी पी-I(खंड II-बी)]

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2005

S.O. 1534(E).—Whereas the Central Government had constituted an Expert Committee to review the use of Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT);

And, whereas, the Central Government, after considering the recommendations of the said Expert Committee and in consultation with the Registration Committee constituted under section 5 of the Insecticides Act,1968 (46 of 1968) (hereinafter referred to as the said Act) was satisfied that the use of Dichloro Diphenyl Trichloroethane in agriculture was likely to involve risk to human beings and animals;

And, whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 28 of the said Act, the Central Government vide notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation number S.O. 378(E), dated the 26th May, 1989 withdrew the use of Dichloro Diphenyl Trichloroethane in agriculture and restricted its use for the public health programme to 10,000 Metric Tonnes per annum, except in case of any major outbreak of epidemic;

And, whereas, the Central Government proposes to revise the said Order number S.O. 378(E) dated the 26th May, 1989 for the purposes of allowing the manufacture of Dichloro Diphenyl Trichloroethane for export for use in vector control for public health;

Now, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 28 of the said Act and after consultation with the Registration Committee constituted under section 5 of the said Act, the Central Government hereby proposes to issue the following Order, namely :—

DRAFT ORDER

1. In the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation number S. O. 378(E) dated the 26th May, 1989, for paragraph (2), the following shall be substituted, namely :—

"(2) The use of Dichloro Diphenyl Trichloroethane for the domestic public health programme is hereby restricted upto 10,000 Metric Tonnes per annum, except in case of any major outbreak of epidemic. M/s. Hindustan, Insecticides Limited, the sole manufacturer of Dichloro Diphenyl Trichloroethane in the country may manufacture Dichloro Diphenyl Trichloroethane for export to other countries for use in vector control for public health purpose. The export of Dichloro Diphenyl Trichloroethane to Parties and State non-Parties shall be strictly in accordance with article 3 [2(b)] of the Stockholm Convention.

(2A) The State Governments shall be empowered to take all such steps in their respective jurisdiction as they may deem fit for carrying out this Order as per the Insecticides Act, 1968 and the rules framed thereunder."

2. The draft Order, which the Central Government proposes to make, is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft Order shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this Order are made available to the public.

3. Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the said draft Order may, forward, the same for consideration of the Central Government within the period so specified to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), Krishi Bhavan, New Delhi.

[F. No. 19-6/1999-PP-I (Vol. II-B)]

ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.